कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/आविशा/संग./2024/ 1781 दिनांक : 16.08.2024

-:: आदेश ::-

(निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

यत: मुझे प्रतीत कराया गया है कि पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में रक्षाबंधन पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा), प्रयुक्त किया जाने लगा है। उक्त मांझा विभिन्न धातुओं के मिश्रण से निर्मित होने से धारदार तथा विद्युत का सुचालक होता है। इसके पतंगबाजी में उपयोग के दौरान दोपहिया वाहन चालक तथा पक्षियों को क्षति पहुँचने की पूर्ण सम्भावना रहती है तथा विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के सम्पर्क में आने पर विद्युत प्रवाह होने से पतंग उड़ाने वाले को भी नुकसान पहुँचने तथा विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की प्रबल सम्भावना रहती है। इस समस्या और खतरे के निवारण हेतु यह आवश्यक है कि "धातु निर्मित मांझा" (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) के उपयोग एवं विक्रय को निषेध किया जावे।

माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान खण्डपीठ, जयपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन (PIL) नं. 15793/2011 महेश अग्रवाल बनाम राज्य एवं अन्य में जारी दिशा-निर्देश दिनांक 22.08.2012 एवं माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली द्वारा प्रकरण सं. 384/2016 Khalid Ashraf & Anr. Vs Union of India & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14.12.2016 में भी पंतग उड़ाने के लिये उपरोक्त हानिकारक सामग्री से बने धागे के उपयोग को परमिट नहीं किया है तथा श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.35(1) गृह-9/2020 दिनांक 10.01.2020 द्वारा पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग/मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक तथा सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर प्रतिबंध रखने हेतु निर्देशित किया गया है।

लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधारहित बनाये रखने हेतु मैं निषेधात्मक आदेश करने हेतु संतुष्ट हूँ।

अत: मैं राजेन्द्र सिंह, पुलिस आयुक्त जोधपुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाये रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके "धातु निर्मित मांझा" (सामान्य प्रचलित भाषा में चाईनीज मांझा) की थोक व खुदरा ब्रिकी, भण्डारण, परिवहन तथा उपयोग को निषेध/प्रतिबंधित करने तथा पतंग उड़ाने के दौरान पक्षियों को पतंग/मांझा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए

COMMISSIONER OF POLICE JODHPUR (RAJASTHAN)

प्रात: 06.00 बजे से 08.00 बजे तथा सायं 05.00 बजे से 07.00 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर प्रतिबन्ध रखने का आदेश देता हूँ।

चूंकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में है, विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिश: तामील कराया जाना सम्भव नहीं है। अत: यह आदेश धारा 163 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु पुलिस आयुक्तालय जोधपुर की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, इलेक्ट्रोनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

यह आदेश दिनांक 18.08.2024 से 01.09.2024 तक प्रभावशील रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 16.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

COMMISSIONER OF POLICE JODHPUR (RAJASTHAN)

(राजेन्द्र सिंह)
पुलिस आयुक्त,
जोधपुर
पुलिस आयुक्त
जोधपुर (राजस्थान)

प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ –

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. पुलिस उपायुक्त पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात/अपराध, आयुक्तालय जोधपुर ।
5. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पूर्व/पश्चिम, आयुक्तालय जोधपुर ।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
7. समस्त थानाधिकारी, आयुक्तालय जोधपुर को पालनार्थ।
8. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

पुलिस आयुक्त,
जोधपुर
पुलिस आयुक्त
जोधपुर (राजस्थान)